झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

।। अधिसूचना ।।

अधि०सं0: 1 / नि0वि0विविध–02 / 16..... राँची, दिनांक .....

निबंधन अधिनियम 1908 की धारा 69 (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार के अनुमोदन से अधिनियम की धारा 69 (2) के अधीन निबंधन महानिरीक्षक निम्नांकित नियमावली बनाते हैं :–

1. **संक्षिप्त शीर्षक विस्तार एवं प्रारम्भ**
   (i) यह नियमावली निबंधन (दस्तावेजों के निबंधन में पहचान का सत्यापन) नियमावली 2016 कही जायेगी।
   (ii) यह नियमावली निबंधन महानिरीक्षक द्वारा अधिसूचित निबंधन कार्यालयों में प्रवृत्त की जाएगी।
2. **परिभाषा** :–
   (i) "अधिनियम" से तात्पर्य है निबंधन अधिनियम 1908 ।
   (ii) 'आधार संख्या':– आधार संख्या से तात्पर्य है यूनिक आईडेन्टिफिकेशन ऑथोरिटी ऑफ इंडिया (यू0आइ0डी0ए0आई) द्वारा संबंधित व्यक्ति की जनसंख्यायिक एवं बायोमैट्रिक सूचना का डी–डुप्लीकेशन के बाद उक्त व्यक्ति को निर्गत 12 अंकों का यूनिक आइडेन्टिफिकेशन संख्या।
   (iii) "आधार प्रमाणीकरण सेवा" से तात्पर्य है पक्षकारों द्वारा समर्पित किए गए दस्तावेजों का सत्यापन आधार अभिप्रमाणित सेवा (आधार ई०–के0वाई0सी0) के आधार पर बायोमैट्रिक सत्यापन द्वारा किया जाना।
3. **प्रक्रिया** :– पक्षकार के प्रमाणीकरण हेतु निम्नांकित प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
   (i) पक्षकारों का आधार संख्या और अंगुलियों का निशान एकत्र (Capture) किया जाएगा।
   (ii) e-kyc के लिए एकत्रित किए गए पक्षकारो का आधार संख्या और अंगुलियों के निशान को मिलान (Match) के लिए UIDAI के सर्वर को भेजा जाएगा।
   (iii) आधार नम्बर और अंगुलियों के निशान का मिलान सफल हो जाता है तो इन्ड यूजर या ऑपरेटर के कम्प्यूटर स्क्रीन पर पक्षकार का पूर्ण विवरण द्रष्टव्य हो जाएगा, जिसका पक्षकार द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों से सत्यापन किया जा सकता है।
   (iv) सत्यापन के उपरांत प्रमाणीकरण को अंतिम रूप दिया जाएगा तथा कम्प्यूटर स्क्रीन पर उपलब्ध पक्षकार के पूर्ण विवरण को डाउनलोड कर दस्तावेज में संलग्न कर स्कैन किया जाएगा।
4. **अचल सम्पत्ति के हस्तांतरण से संबंधित दस्तावेज के निबंधन हेतु प्रक्रिया** :– जब दस्तावेज अचल सम्पत्ति के हस्तांतरण से संबंधित हो तो ऐसे मामलों में सभी निष्पादक लेख्यधारी एवं गवाह / पहचानकर्त्ता की पहचान स्थापित करने के लिए उपरोक्त प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
5. यह अधिसूचना निर्गत किये जाने की तिथि से प्रभावी होगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से।

ह0 / –
निबंधन महानिरीक्षक,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक–1/नि0वि0विविध–02/16.......................... राँची, दिनांक–..............................

प्रतिलिपि– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को राजकीय राजपत्र के अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. उनसे अनुरोध है कि गजट की 200 प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

ह0/–
निबंधन महानिरीक्षक,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक–1/नि0वि0विविध–02/16...75/नि0... राँची, दिनांक–...31-1-17...

प्रतिलिपि–महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
निबंधन महानिरीक्षक,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक–1/नि0वि0विविध–02/16...75/नि0... राँची, दिनांक–...31-1-17...

प्रतिलिपि–माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची/ माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/मुख्य सचिव के सचिव/सभी प्रधान सचिव/सभी विभागीय सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, झारखण्ड/सभी उपायुक्त–सह–जिला निबंधक/सभी निबंधन कार्यालयों के निरीक्षक, झारखण्ड/सभी जिला अवर निबंधक एवं सभी अवर निबंधक, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31.1.17
निबंधन महानिरीक्षक,
झारखण्ड, राँची।